



B
1/10/83

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

पृ. 29]
No. 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1983/आषाढ़ 25, 1983
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1983/ASADHA 25, 1983

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भा संवैधान्तिक को छोड़कर) भारत सरकार के प्रशासनिक और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

eral Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued he Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1983

सांकां० 506 --राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परत्वक द्वारा प्रवृत्त कर्मियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (कम्पाउण्डर) भर्ती नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् --

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (कम्पाउण्डर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (कम्पाउण्डर) भर्ती नियम, 1978 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् --

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जाई जाए बर्षों का फायदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अन्य अर्हताएं
						केन्द्रीय सिविल सेवा (पैशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुश्रेय है या नहीं	
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
वर्गांक		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	330-10-380-दरों 12	सांगू नहीं होता	सांगू नहीं होता	सांगू नहीं होता	(1) मैट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य।

2. In the Schedule to the Central Institute of Indian Languages and its Regional Language Centres (Group A and B posts) Recruitment Rules, 1973 :—

For the entries in column 12 relating to posts of (i) Reader-cum-Research Officer (Extension) (ii) Reader-cum-Research Officer (Evaluation and Testing) (iii) Reader-cum-Research Officer (Material Production|Language Laboratory) (iv) Reader-cum-Research Officer (Folklore Unit) (v) Reader-cum-Research Officer (Nepali-Hindi-Nepali and Nepali-Bengali-Nepali Dictionary Project) and (vi) Research Officer, the following entries shall be substituted, namely:—

Group 'A' DPC (for considering confirmation)

- (i) Secretary, Ministry of Education and Culture —Chairman
- (ii) Joint Secretary|Joint Educational Adviser in charge of Language Division, Ministry of Education and Culture —Member
- (iii) Director, Central Institute of Indian Languages. —Member

[F. 8-100|82. D 4(L)]

K. K. KHULLAR, Director(Languages)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आकाशवाणी महाविशालय

नई दिल्ली, 4 मई, 1983

मा० का० वि० 522.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्पुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (वर्ग 3 पर) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का मूल्य नाम आकाशवाणी (वर्ग 3 पर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवक्त होंगे।
2. आकाशवाणी (वर्ग 3 पर) भर्ती नियम, 1964 को अनुसूची में सेलोटक्स कटर और डेकोरेटर के पर से संबंधित क्रम सं० 20 के सामने,—

- (1) स्तम्भ 2 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"ज्येष्ठ बढ़ई",
- (2) स्तम्भ 5 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"25%"

- (3) स्तम्भ 6 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—
"75%"

[नं० 310/9|83-बी (डी)]

इ.बान कृष्ण, अवर सचिव

पर टिप्पण:—आकाशवाणी, (वर्ग 3 पर) भर्ती नियम, 1964, भारत सरकार की अधिसूचना के अधीन मा० का० वि० सं० 1776 तारीख 30 नवम्बर, 1964 के साथ प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(Directorate General : All India Radio)

New Delhi, the 4th May, 1983

G.S.R. 522.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules 1964 namely :—

- (1) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules 1983.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 20 relating to the post of Celotex Cutter and Decorator,—

- (i) for the entry under column 2, the following entry shall be substituted, namely:—
"Senior Carpenter";
- (ii) for the entry under Column 5, the following entry shall be substituted, namely :—
"25%";
- (iii) for the entry under Column 6, the following entry shall be substituted, namely :—
"75%"

[No. 310|9|82-B(D)]

IQBAL KRISHAN, Under Secy.

Note :—The All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964 were published in the Gazette of India under GSR 1776 on 30-11-1964.